न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री जयसिंह आर.ए.एस.

प्र0न0 —219/2020(2020/00342)

उनवान : —

रोहताश पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी चक भोजासर तहसील भादरा।

वादीगण

बनाम

1. बनवारी पुत्र लेखुराम जाति जाट निवासी चक भोजासर तहसील भादरा।
2. जगदीश पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी चक भोजासर तहसील भादरा।
3. विक्रम पुत्र लीलूराम कुदरती माता बिमला पत्नी लीलूराम जाति जाट निवासी चक भोजासर तहसील भादरा।
4. बिमला पत्नी लीलूराम जाति जाट निवासी चक भोजासर तहसील भादरा।
5. पूजा कुमारी पुत्री लीलूराम जाति जाट निवासी चक भोजासर तहसील भादरा।
6. बालादेवी पुत्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी चक भोजासर तहसील भादरा।
7. एस.बी.आई. शाखा छानीबड़ी जरिये शाखा प्रबंधक छानीबड़ी।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री धर्मपाल बेरवाल वादी
श्री सतवीर बैनीवाल प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक: 04/03/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 एमएसआर के वर्तमान खाता संख्या 50/51 के मुरब्बा न0 64 के किला न0 6, 7, 14, 15, 16, 17, 24, 25, मु0 न0 65 के किला न0 20, 21, मु0 न0 69 के 1, 10, 11, 20, 21, मु0 न0 70 के किला न0 5, 6, 15, 16, 25 इस प्रकार कुल किता 20 की कुल 5.060 हैक्टेयर नहरी 4.8350 है0 खाला 0.2250 है0, इसी प्रकार चक [illegible] के खाता संख्या [illegible]/42 के मु0 न0 14 के किला न0 3 ता 8, 13 ता 15, मु0 न0 15 के किला [illegible] 1 [illegible]3, 8 ता 13 इस प्रकार कुल किता 18 की कुल 4.554 हैक्टेयर [illegible] है0, इसी प्रकार चक 2 एमएसआर के खाता संख्या 59/52 के मु0 न0 47 के किला न0 18 ता 23 कुल [illegible] की कुल 1.518 है0 नहरी 1.4790 है0 रास्ता 0.039 है0 प्रतिवादी संख्या 1 बनवारी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:14:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा लेखूराम की खातेदारी हुआ करती थी। लेखूराम से विरासतन वादभूमि जो प्रतिवादी बनवारी ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी बनवारी ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी बनवारी के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 बनवारी को वादी के दादा लेखूराम से विरासतन प्राप्त हुई है। भू सैटलमेन्ट विभाग जमाबन्दी चक 1 मुन्सरी सम्वत 2019, भू सैटलमेन्ट विभाग जमाबन्दी सम्वत 2019, भू सैटलमेन्ट विभाग जमाबन्दी चक 2 बीएचडी सम्वत 2019 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 6 बालादेवी वादी की बहिन है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक में हिस्सा तर्क किया हुआ है।

साक्ष्य वादी में वादी रोहताश पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी चक भोजासार जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 1 एमएसआर सम्वत 2072–75 खाता संख्या 50/53 प्रदर्श 1, जमाबन्दी चक 2 बीएचडी सम्वत 2071–74 खाता संख्या 46/42 प्रदर्श 2, जमाबन्दी चक 2 एमएसआर सम्वत 2073–76 खाता संख्या 59/52 प्रदर्श 3, भू सैटलमेन्ट विभाग चक 1 एमएसआर सम्वत 2019 प्रदर्श 4, भू सैटलमेन्ट विभाग चक 2 एमएसआर सम्वत 2019 प्रदर्श 5, भू सैटलमेन्ट विभाग चक 2 बीएचडी सम्वत 2019 प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:44:22 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस [illegible] किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। [illegible] रोही मौजा चक 1 एमएसआर के वर्तमान खाता संख्या 50/51 के मुरब्बा न0 64 के किला न0 6, 7, 14, 15, 16, 17, 24, 25, मु0 न0 65 के किला न0 20, 21, मु0 न0 69 के 1, 10, 11, 20, 21, मु0 न0 70 के किला न0 5, 6, 15, 16, 25 इस प्रकार कुल किता 20 की कुल 5.060 हैक्टेयर नहरी 4.8350 है0 खाला 0.2250 है0, इसी प्रकार चक 2 बीएचडी के खाता संख्या 46/42

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

के मु0 न0 14 के किला न0 3 ता 8, 13 ता 15, मु0 न0 15 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13 इस प्रकार कुल किता 18 की कुल 4.554 हैक्टेयर नहरी 4.404 है0 खाला 0.150 है0, सी प्रकार चक 2 एमएसआर के खाता संख्या 59/52 के मु0 न0 47 के किला न0 18 ता 3 कुल किता 6 की कुल 1.518 है0 नहरी 1.4790 है0 रास्ता 0.039 है0 प्रतिवादी संख्या 1 नवारी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना ाबित है जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है के रोही मौजा चक 1 एमएसआर के वर्तमान खाता संख्या 50/51 के मुरब्बा न0 64 के केला न0 6, 7, 14, 15, 16, 17, 24, 25, मु0 न0 65 के किला न0 20, 21, मु0 न0 69 के 1, 10, 11, 20, 21, मु0 न0 70 के किला न0 5, 6, 15, 16, 25 इस प्रकार कुल किता 20 की कुल 5.060 हैक्टेयर नहरी 4.8350 है0 खाला 0.2250 है0, इसी प्रकार चक 2 बीएचडी के खाता संख्या 46/42 के मु0 न0 14 के किला न0 3 ता 8, 13 ता 15, मु0 न0 15 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13 इस प्रकार कुल किता 18 की कुल 4.554 हैक्टेयर नहरी 4.404 है0 खाला 0.150 है0, इसी प्रकार चक 2 एमएसआर के खाता संख्या 59/52 के मु0 न0 47 के किला न0 18 ता 23 कुल किता 6 की कुल 1.518 है0 नहरी 1.4790 है0 रास्ता 0.039 है0 प्रतिवादी संख्या 1 बनवारी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। **उसमें वादी संख्या 1 रोहताश व प्रतिवादी संख्या 1 बनवारी, प्रतिवादी संख्या 2 जगदीश प्रत्येक को 1/4-1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी 3 विक्रम, प्रतिवादी संख्या 4 बिमला, प्रतिवादी संख्या 5 पूजा कुमारी को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जातेहै।** प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक में त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04/03/21 को मेरे द्वारा लिखाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:14:27 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
R.A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़